प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

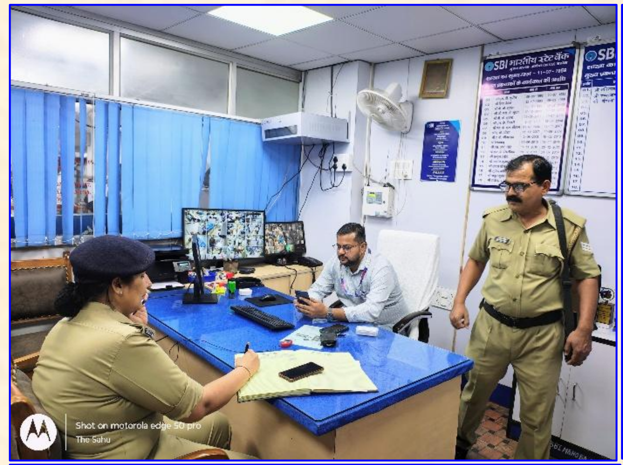

आज दिनांकः-28.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 27.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी वरि0उ0नि0 श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम चौकी प्रभारी सौरा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामपाल राजपूत पुत्र प्रताप लोधी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 516/18 मु0अ0सं0 337/12 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना महोबकंठ में मा0 न्यायालय सि0ज0(जू0डी0) एफ0टी0सी0/महिला सा0आ0 जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम
2. कां0 अंकित सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त –

रामपाल राजपूत पुत्र प्रताप लोधी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में मासिक विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया...।

आज दिनांक- 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ समायिक विषयों पर परिचर्चा हेतु मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया; जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था, क्षेत्रीय समस्याओं एवं पुलिसिंग में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सम्मानित मा0 सांसद/विधायक एवं उनके जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर जनहित में प्राप्त सुझावों से जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने में सहायता प्राप्त करना है, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस के दृष्टिकोण से अवगत कराने तथा विचारों के परस्पर आदान-प्रदान से एक-दूसरे को समझने में सहायक होगी।

इस दौरान सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, भाजपा जिलाअध्यक्ष श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जेपी अनुरागी जी, सांसद प्रतिनिधि श्री प्रेम विश्वकर्मा जी मौजूद रहे।

अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तहत महोबा के प्रमुख होटलों में अग्निसुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को स्कीम नंबर 3 एवं 5 के तहत जनपद महोबा में एक व्यापक अग्निसुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी द्वारा किया गया।

फायर सर्विस टीम ने होटल ललिता भवन, होटल राघव पैलेस एवं होटल कृष्णा रेजीडेंसी का निरीक्षण कर वहाँ मौजूद समस्त स्टाफ को होटल में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के प्रकार, उनके सही उपयोग एवं नियमित रखरखाव के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही, आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्काल किए जाने वाले बचाव उपायों एवं प्राथमिक प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।

अग्निशमन टीम ने होटल प्रबंधन को यह भी निर्देशित किया कि वे समय-समय पर अग्निसुरक्षा मॉक ड्रिल एवं उपकरणों का परीक्षण कराते रहें, ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जान-माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य आमजन में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। इस कड़ी में विभिन्न संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

होटल स्टाफ ने फायर सर्विस टीम का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल की सराहना की है।

बाल विवाह एक अभिशाप है...

महोबा जनपद में बाल विवाह के खिलाफ प्रो अभियान चल रहा है। बाल विवाह एक अपराध है और इसे रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

बाल विवाह के खिलाफ प्रो अभियान के बारे में:

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:- यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है और इसे संज्ञेय अपराध घोषित करता है.

बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास: सरकार, गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चला रहे हैं.

बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन: बाल विवाह की सूचना देने के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं.

बाल विवाह की सूचना देने पर कार्रवाई: बाल विवाह में शामिल लोगों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता: बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

बाल विवाह को शून्य घोषित करवाने की प्रक्रिया: अगर कोई बाल विवाह होता है, तो संबंधित व्यक्ति जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है और विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है.

बाल विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें: बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर बुरा प्रभाव डालती है.

बाल विवाह लड़कियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होता है और इससे उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं और जटिलताएं होती हैं.

बाल विवाह बच्चों के लिए उनके जीवन में कई अवसरों को खोने का कारण बन सकता है, बाल विवाह को रोकने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

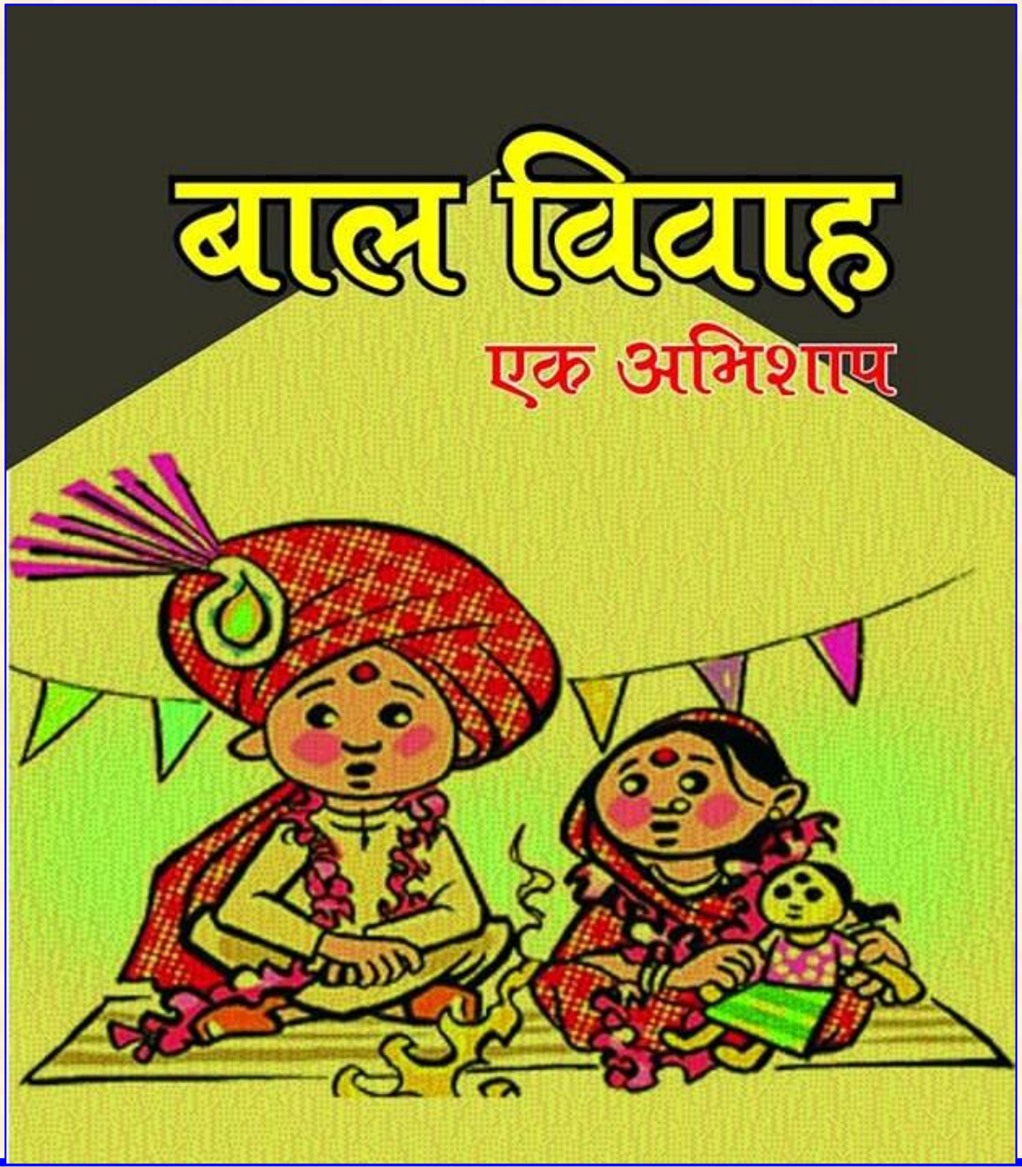

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित उ0नि0 हरिभजन सिंह गौतम, उ0नि0 निकिता शुक्ला व उ0नि0 संदीप विमल मय हमराह हे0का0 ओमप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/25 धारा 117(2)/115(2)/352/351(2) बीएनस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर अपराधी सूरज सिंह यादव पुत्र हरगोबिन्द सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सलारपुर बांध वहद ग्राम सलारपुर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हुए अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 91/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पजींकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरिभजन सिंह गौतम 2. उ0नि0 निकिता शुक्ला
3. उ0नि0 संदीप विमल 4. हे0का0 ओमप्रकाश

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरज सिंह यादव पुत्र हरगोबिन्द सिंह उम्र 41 वर्ष नि0 ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 1296/2008 धारा 147/323/504/5063 भादवि व 3(1)X sc/st act
2. मु0अ0स0 1200/2009 धारा 323/504/506 भादवि
3. मु0अ0स0 713/2012 धारा 60 आबकारी एक्ट
4. मु0अ0स0 383/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
5.मु0अ0स0 198/16धारा 3 यूपी गुण्डा
6. मु0अ0स0 333/16 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट

7. मु0अ0स0 65/18 धारा 354/323/504/506 भादवि
8. मु0अ0स0 115/19 धारा 147/148/304/308/504 भादवि
9. मु0अ0स0 59/21 धारा 3 यूपी गुण्डा
10.मु0अ0स0 28/21 धारा 110 जी
11.मु0अ0स0 18/22 धारा 110 जी
12. मु0अ0स0 48/24 धारा 60 आबकारी एक्ट
13. मु0अ0स0 71/24 धारा 504/506 भादवि
14. मु0अ0स0 141/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
15.एनसीआर 59/23 धारा 323 भादवि
16. एनसीआर 29/24 धारा 504/506 भादवि
17. एनसीआर 43/24 धारा 115(2)/352/351(2)बीएनएस
18.मु0अ0सं0 90/25 धारा 117(2)/115(2)/352/351(2) बीएनस
19. मु0अ0सं0 91/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट